न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, सन्त कबीर नगर।

सत्र वाद संख्या– 508/2022

सरकार बनाम गुड्डू उर्फ राजेश।

मु०अ० सं०–758/2014
धारा–323, 325, 504, 506, 304 आई०पी०सी०
थाना–खलीलाबाद, जिला सन्त कबीर नगर।

30.06.2026 –

पुकार कराया गया। अभियुक्त गुड्डू वर्मा उर्फ राजेश वर्मा उपस्थित नही है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त गुड्डू वर्मा उर्फ राजेश वर्मा के निरन्तर अनुपस्थित होने के कारण उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाओं का निष्पादन किया गया। थाने के आख्यानुसार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध जारी आदेशिका गैर जमानतीय अधिपत्र व अन्तर्गत धारा–82 द०प्र०सं० व 83 दं०प्र०सं० का निष्पादन किया गया। थाने की आख्या के अनुसार गैर जमानतीय अधिपत्र व अन्तर्गत धारा–82 द०प्र०सं० की कार्यवाही घर पर जाकर किया गया। एक प्रति अभियुक्त के घर पर चस्पा किया गया। गांव के लोगों द्वारा व पड़ोसियों द्वारा मालूम हुआ कि कई वर्षों से घर पर नही है और उसके मां व बाप मर चुके हैं। घर पर कोई नही रहता है।

मामले में अभियुक्त विगत कई वर्षो से लगातार अनुपस्थित है। मामले में हेड कां० हरिनरायण प्रसाद का बयान सी०डब्लू०–2 के रूप में अंकित किया गया है।

मामले में **सी०डब्लू०–2** के रूप में परीक्षित साक्षी हेड कां० हरिनरायण प्रसाद वर्तमान तैनाती कोतवाली खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर पी०एन०ओ० नम्बर–062251020 ने सशपथ कथन किया है कि–न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका दिनांकित 07.04.2026 अन्तर्गत धारा 83 सी०आर०पी०सी० के अनुपालन में मैं तथा कास्टेबल उमेश कुमार उपनिरीक्षक अशोक कुमार दूबे के हमराह के रूप मे ग्राम बाहिलपार थाना खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर में स्थित गुड्डू वर्मा उर्फ राजेश उर्फ घीसूराम के घर पर गया था तो पता चला कि अभियुक्त गुड्डू वर्मा उर्फ राजेश उर्फ घीसूराम काफी दिनों से फरार है उसका कोई अता पता नहीं है। समक्ष गवाहन उपनिरीक्षक अशोक कुमार दूबे द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका के अनुपालन में कुर्की की कार्यवाही की गई तथा कुर्क किये गई सम्पत्ति को एक कमरे में बन्द कर ताला लगाया गया कब्जा पुलिस लिया गया। जब्त की गई सम्पत्ति की एक लिस्ट बना कर गवाहों के हस्ताक्षर बनाया गया था। उपनिरीक्षक अशोक कुमार दूबे थाना कोतवाली खलीलाबाद संत कबीर नगर में तैनात है तथा अस्वस्थता के कारण अवकाश पर चल रहे है। मै कोतवाली में उनके साथ तैनात हू मैं उपनिरीक्षक अशोक कुमार दूबे को लिखते पढ़ते व हस्ताक्षर बनाते देखा हूं कुर्की की कार्यवाही में मैं भी उनके साथ शामिल था। कार्यवाही कुर्की शामिल पत्रावली कागज संख्या 9 ख/1 ता 2 है जिस पर बने हुए अपने हस्ताक्षर तथा उपनिरीक्षक अशोक कुमार दूबे के हस्ताक्षर की मैं पुष्टि करता हूं जिसपर प्रदर्श ग–1 डाला गया। उक्त प्रकरण में धारा–299 द०प्र०सं० के तहत अभियोजन साक्ष्य के लिए पत्रावली नियत की गयी।

दौरान विचारण अभियुक्त राजेश वर्मा उर्फ गुड्डू वर्मा के फरार/अनुपस्थित होने के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांकित 01.07.2022 को अभियुक्त गुड्डू वर्मा उर्फ राजेश वर्मा की पत्रावली पृथक की गयी थी। संबंधित मामले में पृथक सत्र वाद संख्या 16/2025 में सहअभियुक्त राजू वर्मा पुत्र घिस्सू वर्मा को न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांकित 30.06.2026 द्वारा दोषसिद्ध किया गया।

चूँकि अभियुक्त उपरोक्त फरार है और उसकी तुरन्त गिरफ्तारी की सम्भावना नहीं है। उसे फरार घोषित किया जाता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त मुकदमें के अभियुक्त गुड्डू वर्मा उर्फ राजेश वर्मा के विरूद्ध स्थानीय गैर जमानतीय वारण्ट चार प्रतियों में बनाया जाए और संबंधित थाने को तीन प्रतियों में प्रेषित किया जाए। संबंधित थाना प्रभारी निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्थायी गैर जमानतीय वारण्ट का अनुपालन कर कार्यवाही करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल–दफ्तर हो। अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर पत्रावली अभिलेखागार से तलब की जाएगी।

दिनांक–30.06.2026

(रणधीर सिंह)
[J.O. Code–UP05761]
सत्र न्यायाधीश,
सन्त कबीर नगर।

Digitally signed by RANDHEER SINGH
Date: 2026.06.30 17:18:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court